न्यायालय तहसीलदार मसूदा, जिला-अजमेर

प्रकरण संख्या 02/2019

राजस्थान सरकार जरिए बनाम श्री देवी, रवाजू पि. काना, मेरात

पटवारी हल्का पीपलाज निवासी रूपारेल, तह. मसूदा

भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक 07-1-2019

पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी उपस्थित। मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का पीपलाज द्वारा सम्वत् 2075 ग्राम रूपारेल की सरकारी भूमि खसरा नम्बर 953 कुल रकबा 1-15-0 किस्म भूमि गैरमुमकिन में से रकबा -12 भूमि पर अप्रार्थी श्री देवी, रवाजू पुत्रान काना जाति मेरात निवासी रूपारेल द्वारा नाजायज बाड़े हेतु कब्जा कर लिये जाने की भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के प्रावधानों के तहत नोटिस दिनांक 7-1-2019 को मुकाम मसूदा पर उपस्थित होने बाबत् जारी किया गया।

अप्रार्थी नें नोटिस के जवाब में अपने पक्ष में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। अतः अप्रार्थी के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। भूमि नियमन योग्य नही हैं।

मैने पत्रावली का विवेचनात्मक अध्ययन एवं मनन किया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कोई ठोस सबूत एवं दस्तावेज पेश नहीं किए एवं अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अपना अवैध अतिक्रमण होना स्वीकार किया। भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार सरकारी खाते में दर्ज है। अप्रार्थी बतौर अतिक्रमी उक्त भूमि पर काबिज है। अतः अप्रार्थी देवी, रवाजू पुत्रान काना जाति मेरात निवासी रूपारेल को सरकारी भूमि ग्राम रूपारेल के खसरा नम्बर 953 कुल रकबा 1-15-0 किस्म जमीन गैरमुमकिन में से रकबा -12 भूमि पर किए गए नाजायज कब्जे/काश्त के लिए अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं आदेश दिए जाते है कि अप्रार्थी को उक्त भूमि में से बेदखल किया जावे एवं आर्थिक दण्ड के रूप में वार्षिक लगान 0.03 का पचास गुणा 25/- रूपये बतौर शास्ति आरोपित की जावे व मौके पर खड़ी फसल/अन्य को जब्त सरकार कर निलाम किया जावे आदेश की पालना में भू-अभिलेख निरीक्षक / पटवारी हल्का को व डिमाण्ड कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद कार्यावाही फैसल शुमार होकर नम्बंर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 7.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं शामिल मिसल किया गया।

तहसीलदार मसूदा
जिला अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2019.12.11 14:38:18 IST
Reason: SelfAttested